

डिक्री बमुकदमें ईत्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-381/2018

1. अबूबशाह पुत्र सन्नाउल्ला जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
2. महबूबशाह पुत्र सन्नाउल्ला जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
3. अरशाद अयूब पुत्र गुलाम नबी जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
4. नजमा पत्नी गुलाम नबी जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी। -वादीगण

बनाम्

1. सन्नाउल्ला पुत्र सवाले मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी।
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी। -प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महेश कुमार गौड वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री अजमत उल्ला प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है:-

(क)-वादी संख्या 1 अबूबशाह को प्राप्त आराजी:-चक नं.4 एसबीएन के खाता संख्या 156/135 में प.नं. 213/206 मु.नं. 26 कि.नं.10,11,20,21, प.नं. 213/207 मु.नं. 35 के कि.नं.1/0.253, प.नं. 213/208 मु.नं. 36 कि.नं. 1/0.253, व इसी चक के खाता संख्या 147/131 में प.नं. 213/208 मु.नं. 36 कि.नं. 5,6/0.506 है., तथा इसी चक के खाता संख्या 28/26 में प.नं. 213/208 मु.नं. 36 कि.नं. 4,7/0.506 है।

(ख)-वादी संख्या 2 महबूबशाह को प्राप्त आराजी:-चक नं. 4 एसबीएन के खाता संख्या 156/135 में प.नं. 213/207 मु.नं. 35 कि.नं. 11,12,13,18,19,20,22,23 व इसी चक के खाता संख्या 147/131 में प.नं. 213/207 मु.नं. 35 कि.नं. 15,16,25,इसी चक के खाता संख्या 28/26 में प.नं. 213/207 मु.नं. 35 कि.नं. 14,17,24

(ग)-वादी संख्या 3 अरशाद अयूब को प्राप्त आराजी:-चक नं. 8 केएचआर के खाता संख्या 148/131 में प.नं. 214/213 मु.नं. 15 कि.नं. 21/0.253 है. नहरी, तथा इसी चक के खाता संख्या 50/40 में प.नं. 216/218 मु.नं. 56 कि.नं. 3,4/0.506 है.नहरी, व इसी चक के खाता संख्या 137/122 प.नं. 216/218 मु.नं. 56 कि.नं. 1/2/.228, 2/.253, प.नं. 215/218 मु.नं. 57 कि.नं. 5/.253 है., व इसी चक के खाता संख्या 138/94 प. नं. 215/218 मु.नं. 57 कि.नं. 11,12, व 13/.102 है, तथा चक नं. 2 एमकेएस ए के खाता संख्या 147/135 प.नं. 213/223 मु.नं. 39 कि.नं. 23,24/0.506 है.प.नं. 213/224 मु.नं. 46 कि.नं. 3/.127,4/.253,चक नं. 5 एसबीएन के खाता संख्या 166/154 प.नं. 212/208 मु.नं. 49 कि.नं. 5,12,13/0.759 है. व चक नं. 4 एसबीएन के खाता संख्या 146/130 में दर्ज 2.277 है।

(घ)-वादी संख्या 4 नजमा को प्राप्त आराजी- चक नं. 1 एमकेएस ए के खाता संख्या 139/133 में दर्ज 3.036 है।

(ङ)-प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त आराजी:- चक नं. 2 एमकेएस ए के खाता संख्या 147/135 में प.नं. 213/224 मु.नं. 46 कि.नं. 2, 3/.126,8,9, व चक नं. 1 एमकेएसबी के खाता संख्या 107/97 में दर्ज 0.354 है., चक नं. 8 केएचआर के खाता संख्या 50/40 में प.नं. 216/218 मु.नं. 56 कि.नं. 7,8 व इसी चक के खाता संख्या 137/122 प.नं. 216/218 मु.नं. 56 कि.नं. 9,10,प.नं. 215/218 मु.नं. 57 कि.नं. 6/.253,व इसी चक के खाता संख्या 138/94 में प.नं. 215/218 मु.नं. 57 कि.नं. 8, 13/.151,14/.253 है।

उपर्युक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को खाता खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर व खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा चक नं. 1 एमकेएस ए के खाता संख्या 139/133,चक नं.2 एमकेएस ए के खाता संख्या 147/135,चक नं.1 एमकेएस बी खाता संख्या 107/97,चक नं.5 एसबीएन के खाता संख्या

५९

166/154, चक नं. 4 एसबीएन के खाता संख्या 156/135, चक नं. 5 एसबीएन के खाता संख्या 166/154, चक नं. 4 एसबीएन के खाता संख्या 156/135, चक नं. 8 केएचआर के खाता संख्या 148/131 में से सवाले मोहम्मद का नाम तथा चक नं. 4 एसबीएन के खाता संख्या 28/26, चक नं. 8 केएचआर के खाता संख्या 50/40 में से गुलाम नबी तथा चक नं. 8 केएचआर के खाता संख्या 137/122 व चक नं. 4 एसबीएन के खाता संख्या 147/131 से सन्नाउल्ला, चक नं. 8 केएचआर के खाता संख्या 138/94 से सन्नाउल्ला व गुलामनबी, चक नं. 4 एसबीएन खाता संख्या 146/130 में से सन्नाउल्ला व गुलामनबी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...३०.१०.१९...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....३०.१०.२०१९...को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी